कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–2033/XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्री इन्द्र सिंह परिहार,
पुत्र स्व0 तेज सिंह परिहार
ग्राम व पोस्ट चाफी(नैनीताल)

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–634 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 21.09.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 18.10.2023 को प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

बिन्दु सख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–04	2 पेज

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,
BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

(ख) राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), उस राज्य में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(ग) राज्य की विधान परिषद् के लिए, जहां ऐसी परिषद् है, द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, उस राज्य में दो से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(घ) किसी राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिए ;

(ङ) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(च) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(छ) राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिए ;

(ज) दो या अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए, जहां ऐसी परिषद् है, उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से,

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक उप-निर्वाचन साथ-साथ कराए गए तब समझे जाएंगे, जब ऐसे उप-निर्वाचनों की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा, यथास्थिति, धारा 147, धारा 149, धारा 150 या धारा 151 के अधीन एक ही तारीख को निकाली जाती है ।]

[1][**33क. सूचना का अधिकार**—(1) कोई अभ्यर्थी, ऐसी सूचना के अतिरिक्त जिसकी उससे धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त किए गए अपने नामनिर्देशन-पत्र में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, इस बारे में भी सूचना देगा कि क्या वह,—

(i) किसी ऐसे लंबित मामले में, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिया गया है, दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है ;

(ii) [धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अथवा उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्थापक, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर को नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय, विहित प्ररूप में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना सत्यापित करते हुए अभ्यर्थी द्वारा दिया गया शपथपत्र भी परिदत्त करेगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर, उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, उपधारा (2) के अधीन परिदत्त शपथपत्र की एक प्रति, किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र से जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किया गया है, संबंधित मतदाताओं की जानकारी के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर पूर्वोक्त सूचना प्रदर्शित करेगा ।]

[2][**33ख. अभ्यर्थी द्वारा केवल अधिनियम और नियमों के अधीन ही सूचना का दिया जाना**—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निदेश, आदेश या किसी अन्य अनुदेश में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की बाबत ऐसी कोई सूचना प्रकट करने या देने के दायित्वाधीन नहीं होगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रकट किए जाने या दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है ।]

34. निक्षेप—[3][(1) जब तक कि अभ्यर्थी—

(क) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन की दशा में, [4][पच्चीस हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां बारह हजार पांच सौ रुपए की राशि] ; और

---

1. 2002 के अधिनियम सं0 72 की धारा 2 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं0 72 की धारा 3 द्वारा (2-5-2002 से) अंतःस्थापित ।
3. 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 7 द्वारा (1-8-1996 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 5 द्वारा (1-2-2010 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [1]*** के रूप मे कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[2][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन---

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[3][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 --- निर्वाचन अपराध

[4][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सप्रवर्तित करना**---जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[5][**125क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति**--कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,--

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[6][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध**---(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,---

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है ।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
3. 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
4. 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
5. 2002 का अधिनियम सं0 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
6. 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पंजीकृत/पत्रवाहक

प्राप्त- 18/X/23

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 634 /सू0काअ0/3050/2021 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–326 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के द्वारा श्री इन्द्र सिंह परिहार, पुत्र स्व0 तेज सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट चाफी (नैनीताल) का सूचना से संबंधित अनुरोध–पत्र दिनांकित 21.09.2023 राज्य निर्वाचन आयोग को अनुरोध पत्र में वांछित बिन्दु संख्या–4 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया है, जो आयोग में दिनांक 06.10.2023 को प्राप्त हुआ है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–4 में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित पत्र एवं अनुरोध पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र के बिन्दु संख्या–4 में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

संख्या– — /सू0काअ0/3050/2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री इन्द्र सिंह परिहार, पुत्र स्व0 तेज सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट चाफी (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

R. 11/10/23
F - 3057/23 पंजीकृत

सूचना का अधिकार

श्री दिनेश
11/10/2023

(प्रशान्त कुमार सिंह)
उपायुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(सूचना का अधिकार)

संख्याः 326 / वि0स0 / 64 / सू0 का अधि0 / 2023

देहरादून, दिनांक : 29 सितम्बर, 2023

लोक सूचना अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक सूचना अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

कृपया आवेदक श्री इन्द्र सिंह परिहार, पुत्र स्व0 तेज सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट चाफी (नैनीताल) का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 26.09.2023 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना बिन्दु संख्या 01 एवं 02 लोक सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, बिन्दु संख्या 03 (आंशिक) (विधायक निधि से सम्बन्धित) ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, बिन्दु संख्या 04 राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः **यथोपरि।**

भवदीय,

(मनोज कुमार)
अनु सचिव,
लोक सूचना अधिकारी।

संख्याः / वि0स0 / 64 / सू0 का अधि0 / 2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः 1. श्री इन्द्र सिंह परिहार, पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट चाफी (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना बिन्दु संख्या 01, 02, 03 (आंशिक) एवं 04 इस कार्यालय में धारित नही है। बिन्दु संख्या 01 एवं 02 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, बिन्दु संख्या 03 (आंशिक) (विधायक निधि) से संम्बन्धित ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, बिन्दु संख्या 04 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित प्रतीत होती है। अतः आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुंसार अन्तरित कर दिया गया है। शेष सूचना के संकलन हेतु इस कार्यालय के संबंधित अनुभागो को आपका अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जहाँ से सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

(मनोज कुमार)
अनु सचिव,
लोक सूचना अधिकारी।

5

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय

कार्यालय- उत्तराखण्ड विधान सभा देहरादून।

विषय :- आवेदन अन्तर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005.

महोदय,

10 रू0 आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचनायें चाहता है, जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. राजकीय एम.बी.पी.जी. कालेज हल्द्वानी जनपद नैनीताल में पूर्व छात्र संघ उपसचिव रामसिंह कैड़ा के निर्वाचन/प्रवेश के समय, उसकी सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता तथा नामांकन संख्या और स्नातक अनुत्तीर्ण की सूचना प्रदान करायी जाय।
2. राजकीय एम.बी.पी.जी. कालेज हल्द्वानी जनपद नैनीताल में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामसिंह कैड़ा के निर्वाचन/प्रवेश के समय, उसकी सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता तथा नामांकन संख्या और एम.ए. उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण की सूचना प्रदान करायी जाय तथा स्नातक की दर्शायी गयी शैक्षिक योग्यता की सूचना दी जाय।
3. भीमताल विधानसभा के निर्दलीय तथा भाजपा के विधायक रामसिंह कैड़ा की सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति और विधायक निधि से करवाये गये निर्माण कार्यो की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/ सूचना दी जाय।
4. जालसाजी व धोखाधड़ी करके तथ्यों को छिपाकर उत्तराखण्ड राज्य में विधायक पद पर निर्वाचित महानुभावों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सक्षम कार्यालय, विभाग और अधिकारी के नाम, पता, पदनाम की सूचना दी जाय।

आनपोर्ट
26.9.2023

दिनांक-21.09.2023

प्रार्थी

(इन्द्र सिंह परिहार)
पुत्र स्व. तेज सिंह परिहार
ग्राम व पोस्ट- चाफी (नैनीताल)

वि.स./ 0644 अपेक्षा
धनराशि ...